


| | | |
|-------------------|--|---|
| <p>तारीख हुकम</p> | <p>हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल जज</p> <p>देवीसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या : 126/2023 (ऑन लाईन नं.353075709993243)</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p> |
| <p>14.08.23</p> | <p>अपीलार्थी देवीसिंह पुत्र भीमसिंह, निवासी भालू जहवारपुरा, भालू राजवा, तहसील बालेसर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.01.23 में उसके द्वारा (1) भू अभिलेख कार्यालय कलेक्टर स्तर से ग्राम भालू जवाहरपुरा के ख.नं. 96, 89, 41, 35 व खेतनगर के ख.नं. 62 का प्रमाणित नकशा, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (भू-अभिलेख कलेक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 889 दिनांक 27.07.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि कार्यालय के पत्रांक 371 दिनांक 04.04.23 द्वारा कुल 03 पृष्ठों की प्रमाणित सूचना ऑनलाईन एवं डाक दारा निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा अपीलार्थी को यदि सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो अपीलार्थी पुनः विधिक प्रावधानों के तहत आवेदन प्राप्त कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलेक्टर जोधपुर जिला कलेक्टर, जोधपुर (राज.) </p> | |